न्यायालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–141/2023
(सरिता देवी बनाम् अशवा देवी)
के साथ
दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–142/2023
(सरिता देवी बनाम् नगिया देवी)

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद की प्रक्रिया आवेदिका सरिता देवी पति–दशरथ राम, सा0–टुण्डाहाटु, थाना–बारियातु, जिला–लातेहार द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–10/2019–20 में दिनांक–21.03.2023 एवं दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–11/2019–20 में दिनांक–21.03.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किये गये आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया तथा दोनो पक्षो को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस प्राप्ति के पश्चात् दोनो पक्ष अपने–अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने दावे के समर्थन में लिखित प्रतिउत्तर दाखिल किया गया।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन यह है कि आर0 एस0 खाता संख्या–83, प्लॉट संख्या–271, रकबा–30डी0 जो पुराना खाता संख्या–52, प्लॉट संख्या–642 से संबंधित है। प्रश्नागत भूमि के रैयत का नाम हरि प्रसाद सिंह व निरंजन सिंह व मछेन्दर सिंह तीनों के पिता–

किशुन सिंह को बिहार सरकार को जमींदारी हस्तगत करने के पश्चात् फॉर्म 'एम' से गत् सर्वे खाता–52, प्लॉट संख्या–642 कुल रकबा–4.00 एकड़ हरि प्रसाद सिंह वगैरह के नाम पर दर्ज किया गया। उक्त भूमि का पारिवारिक बटवारा होने के पश्चात् प्रश्नागत भूमि कुल रकबा–4.00 एकड़ मे से रकबा–1.00 एकड़ भूमि हरि प्रसाद सिंह के नाम पर कर दिया गया। हरि प्रसाद सिंह के पुत्र के नाम बलराम सिंह एवं उनके पुत्र के नाम कन्हैया प्रसाद सिंह है। कन्हैया सिंह के द्वारा केवाला संख्या–1704 दिनांक–06.08.2013 को मो0–1,85,000/– रूपये पाकर उक्त भूमि में से कुछ भूमि अपीलार्थी के साथ बिक्री कर दिया गया। अपीलार्थी के खरीदगी भूमि को अंचल अधिकारी, बालूमाथ के द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या–685/2013–14 द्वारा अपीलार्थी के नाम पर दाखिल–खारिज किया गया, जिसके बाद से अपीलार्थी लगातार सरकार लगान का चुकता कर लगान रसीद प्राप्त किया गया। अपीलार्थी द्वारा गत सर्वे खाता संख्या–52, प्लॉट संख्या–642 से क्रय भूमि का हाल सर्वे खाता संख्या–83, प्लॉट सं0–271 रकबा–0.60 एकड़ बना है। इसके अतिरिक्त प्लॉट संख्या– 272, 273 भी बना, जिसका हाल सर्वे खतियान सोनामति देवी पति–महाबीर प्रसाद सिंह के नाम पर प्रकाशित किया गया। विपक्षी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के समक्ष दाखिल–खारिज अपील वाद दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि सोनामति देवी को हुकुमनामा के आधार पर गत सर्वे खाता 52 प्लॉट संख्या–642, रकबा–3.85 एकड़ भूमि मिला था और उसका मांग भी चलता था। बन्दोबस्तधारी के मृत्यु के बाद उनके पुत्र द्वारा विपक्षी को भूमि हस्तान्तरित किया गया है। उक्त आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के द्वारा विपक्षीगण के पक्ष में आदेश पारित किया गया जो न्याय के दृष्टि से सही नही है। क्योंकि दाखिल खारिज वाद संख्या–685/2013–14 से अपीलार्थी के नाम पर प्रश्नागत भूमि का दाखिल खारिज किया गया, जो प्रभावी एवं अक्षुण्ण है। हाल सर्वे प्रकाशन

के पश्चात् प्रश्नागत भूमि से संबंधित खाता एवं प्लॉट का लगान रसीद अपीलार्थी के नाम से निर्गत किया गया है। विपक्षीगण का जो दावा है कि प्रश्नागत भूमि सोनामति देवी को हुकुमनामा से प्राप्त हुआ है। वह बिलकुल निराधार है। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीता महारानी एवं छेदी महतो में आदेश पारित किया गया है कि किसी भी निर्गत हुकुमनामा को निबंधित कराना आवश्यक है, परन्तु सोनामति देवी के नाम से हुकुमनामा को निबंधित नहीं किया गया है। फॉर्म 'एम' जो आवेदिका के विक्रेता के वंशज के नाम से निर्गत है। वह प्रश्नागत भूमि के अधिकार एवं कब्जा का एक प्रमाणिक दस्तावेज है, जो विपक्षी के किसी ब्यान से झूठलाया नही जा सकता है। सोनामती देवी को विपक्षीगण को केवल हुकुमनामा के आधार पर भूमि हस्तांरित करने का कोई अधिकार नही हैं। बी0एल0आर0 अधिनियम 1950 की धारा–5,6,7 के तहत् फॉर्म 'एम' निर्गत किया जाता है। धारा–35 के अन्तर्गत किसी भी व्यवहार न्याायालय के द्वारा धारा–5,6,7 के तहत् निर्गत दस्तावेज की समीक्षा नही की जा सकती है। केवल जिला अधिकारी, दावा अधिकारी तथा मुआवजा अधिकारी को ही यह शक्तियां प्रदत किया गया है। सोनामती देवी के नाम से निर्गत हुकुमनामा बिल्कुल गलत है। सोनामती देवी के द्वारा बी0एल0आर0 अधिनियम 1950 की धारा–5,6,7 के तहत् फॉर्म 'एम' के विरूद्ध धारा–8 के अन्तर्गत कोई भी अपील दायर नहीं किया गया है। विपक्षी के द्वारा विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा–34 के तहत् कोई भी अपील नही दायर किया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार को निबंधित दस्तावेज पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का अधिकार नही है। प्रश्नागत भूमि का आवेदिका के विक्रय अभिलेख संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा–8 के तहत् संचालित है, जिसका लगान रसीद भी निर्गत किया जा रहा है।

उपरोक्त आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के

22V

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–10/2019–20 में दिनांक–21.03.2023 एवं दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–11/2019–20 में दिनांक–21.03.2023 को पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा लिखित प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है एवं उनका कथन है कि आवेदिका द्वारा दाखिल पुनरीक्षण वाद कानून सम्मत नहीं हैं। अंचलाधिकारी, बारियातु के द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या–56R 27/17–18 एवं 57R 27/17–18 में दिनांक–20.02.18 को गलत आदेश पारित किया गया है। उत्तरवादी के द्वारा प्रश्नागत भूमि जिसका हाल सर्वे में खाता संख्या–83 एवं 32 हाल सर्वे प्लॉट संख्या–271, 272, 273 कुल रकबा–1.05 एकड़ है, को क्रय किया गया है। प्रश्नागत भूमि को निबंधित केवाला संख्या–899 एवं 900 दिनांक–18.09.2017 से क्रय किया गया है। क्रय भूमि का लगान रसीद पूर्व से विक्रेता रामप्रकाश सिंह के नाम से निर्गत किया जा रहा था एवं ऑनलाईन रसीद भी रामप्रकाश सिंह के नाम से निर्गत है। बिक्री के पश्चात् बिक्रेता को प्रदत सभी अधिकार हक–हकियत–जोत–कोड़, दखल–कब्जा स्वत्व अधिकार निबंधन के माध्यम से आवेदिका–सह–क्रेता को प्राप्त होता है, जिसके पश्चात् प्रश्नागत भूमि पर वह शांति–पूर्वक दखल–कब्जा प्राप्त करते है। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड रांची के द्वारा याचिका संख्या– 6250, 6253, 6275, 6277, 6281, 6283 वर्ष 2016 ई0 में सम्पूर्ण सुनवाई के पश्चात् यह निर्धारित किया गया है कि पूर्व रैयत (बिक्रेता) के पक्ष में निर्गत लगान के आधार पर क्रेता रैयत के नाम से लगान निर्गत करना है। अंचल अधिकारी, बारियातु के द्वारा सभी राजस्व कानून को अनदेखा करते हुए बिना किसी जानकारी के प्रश्नागत भूमि के उत्तरवादीगण के दाखिल खारिज आवेदन को अस्वीकृत किया जाना न्यायहित में सही नहीं है।

उपरोक्त आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–10/2019–20 में दिनांक–21.03.2023 एवं दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–11/2019–20 में दिनांक–21.03.2023 को पारित आदेश नियमसंगत है तथा आवेदिका के पुनरीक्षण वाद को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

दोनो पक्षों के लिखित जवाब एवं अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजो का अवोलकन किया। अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेज से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नागत भूमि का हाल सर्वे खाता संख्या–83, प्लॉट संख्या–271, 273 एवं अन्य का जमाबंदी सोनामति देवी, पति–महावीर सिंह के नाम से चलता है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–10/2019–20 एवं दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–11/2019–20 में दिनांक 21.03.2023 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए आवेदिका के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार, अंचल अधिकारी, बारियातु एवं उभय पक्षों को भेजे।

अभिलेख, अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

22/4

उपायुक्त, लातेहार।

22/4

उपायुक्त, लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.04.25 14:32:24 +05:30
Location: 192.168.93.92